न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2025/242

1. कालासिंह पुत्र बधावा सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर अपील संख्या 12/12/17 दिनांक 09.05.2018 उनवानी कालासिंह बनाम राजस्थान सरकार एंव निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 23.10.2017

उपस्थित–

1. श्री हरमीत सिंह, सुनील मल्होत्रा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–07.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के आदेश दिनांक 09.05.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट कालासिंह पुत्र बधावा सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष वाके ग्राम जहानपुर में स्थित सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 व खसरा नं. 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को तहसीलदार रामगढ की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 से अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण अपील खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 09.05.2018 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट कालासिंह पुत्र बधावा सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 23.10.2017 को वाके ग्राम जहानपुर में स्थित सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 व खसरा नं. 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा मानते हुये अतिक्रमी मानकर अपीलांट को बेदखली व पैनल्टी वसूली व 3 माह कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जबकि प्रार्थी द्वारा अभी किसी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है उसने अपना कब्जा छोड दिया है और ना ही भविष्य में करेगा। परन्तु पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का सरकारी भूमि पर कब्जा बताते हुये गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का ने मौके पर कोई जांच नहीं की एवं ना ही मौके पर गेहूं की फसल खडी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है पत्रावली पर पटवारी गिरदावर के बयानात नहीं लिये गये है उक्त तथ्यो को भी बिना समझे ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलांट द्वारा सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 व खसरा नं. 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का मालपुर की रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है तथा अपीलांट को बेदखली व पैनल्टी वसूली व 3 माह कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पुनः तहसीलदार रामगढ से रिपोर्ट ली गई जिस पर अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने के कारण अपील निरस्त कर दी जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद वाके ग्राम जहानपुर में स्थित सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 व खसरा नं. 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने अवैध रूप से सरकारी चारागाह भूमि पर तिल्ली व ज्वार काश्त कर

अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है तथा अपीलांट को बेदखली, पैनल्टी वसूली व 3 माह कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रार्थी के निवेदन पर तहसीलदार रामगढ से वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रामगढ जिला अलवर की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 में भी अपीलार्थी द्वारा खसरा नं. 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 की भूमि पर गेहूँ काश्त कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही अपीलार्थी द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपील खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 09.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर